पटना, 31 अगस्त 2018 दैनिक जागरण 13

बिल्डर प्लॉट पर बगैर बोर्ड लगाए अब नहीं बना सकेंगे अपार्टमेंट

ईओयू करेगा बिल्डरों की वेबसाइट की मॉनीटरिंग दर्जनों बिल्डरों की जांच में करतूत उजागर

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की आंख में धूल झोंकने वाले बिल्डर, डेवलपर्स, प्रमोटर्स और ब्रोकर की खैर नहीं है। बिल्डरों को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले प्लॉट पर रेरा रजिस्ट्रेशन से लेकर निर्माण संबंधित संक्षिप्त जानकारी की बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में जानकारी साझा की। अमानुल्लाह ने बताया कि बिल्डर को प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद रेरा को सूचित करना होगा कि सभी निर्माण कार्य पूरा कर रखरखाव के लिए संचालन सोसाइटी बना दी गई है।

उन्होंने कहा कि वेबसाइट के जरिए जनता को चकाचौंध में डाल कर फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डरों पर अब आर्थिक अपराध इकाई की नजर रहेगी। रेरा की जांच एक दर्जन से अधिक बिल्डरों द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला उजागर हुआ है। रेरा ने ऐसे बिल्डरों से चार-चार लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया है। इसके मौके पर रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और एसके सिन्हा भी मौजूद थे। रजिस्ट्रेशन आवेदन के साथ बिल्डर को विस्तृत शपथ पत्र भी देना होगा। रेरा की जांच में कई बिल्डरों द्वारा बुकिंग के बाद वेबसाइट से जानकारी हटाने और हेराफेरी करने का मामला भी सामने आया है। रेरा सदस्य एसके सिन्हा ने बताया कि अभी तक करीब 700 बिल्डरों में रजिस्ट्रेशन के आवेदन किया है जिसमें जांच के बाद 155 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।

जुर्माना चुकाने वाले बिल्डर : हेराफेरी करने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों में पनसारी बिल्डर्स की प्रजापति कॉम्पलेक्स प्रोजेक्ट, गोकुल धाम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स की गोकुल धाम प्रोजेक्ट, मां कल्यानी बिल्डकॉन की पिताम्बर एनक्लेव, साई कंस्ट्रक्शन की साई नव कांति कॉम्पलेक्स, राज कंस्ट्रक्शन की राज कॉम्प्लेक्स, साइ डेवलपर्स की साइ नव कांति कॉम्पलेक्स, मानडवी बिल्डर्स की साकेत विहार, साकार बिल्डर्स की कल्पतरू, राजेश कुमार की जानकी नंदनी अपार्टमेंट, कल्यानी डेवलपर्स की राम हेरिटेज, श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन की एमएच सिटी, पुलमन बिल्डकॉन की सरस्वती हाइट्स, कलाकीर्ति कंस्ट्रक्शन की शामिल है।

- रेरा रजिस्ट्रेशन से लेकर नक्शा पास होने और निर्माण कार्य पूरा करने संबंधित संक्षिप्त जानकारी करनी होगी घोषित, धूल झोंकने वाले बिल्डरों की खैर नहीं

पटना में गुरुवार को मीडिया से मुखातिब रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह

रेरा की वेबसाइट से लिया जाना है नंबर

रजिस्ट्री के दस्तावेज में ही संबंधित फ्लैट के रेरा में निबंधन संख्या का जिक्र रहेगा। इसके लिए डाक्यूमेंट में कोई अतिरिक्त व्यवस्था नही की जानी है। निबंधन कार्यालय अपने स्तर रेरा के वेबसाइट पर जाकर संबधित फ्लैट के रेरा निबंधन संख्या का सत्यापन करेगा।

रेरा नंबर सत्यापित नहीं होने पर नहीं हो सकेगा निबंधन

निबंधन महकमे ने अपने सभी निबंधन कार्यालयों को यह हिदायत दे रखी है कि अगर फ्लैट निबंधन के क्रम में रेरा निबंधन की संख्या रेरा के वेबसाइट से सत्यापित नही होती है संबधित फ्लैट का निबंधन नहीं किया जाए। इसकी वजह क्रेता को आधिकारिक तौर पर बता दी जाए।

रेरा निबंधन की अधिसूचना आज से होगी प्रभावी

पटना : शुक्रवार से सूबे के किसी भी निबंधन कार्यालय में फ्लैट की रजिस्ट्री बगैर रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी (रेरा) निबंधन नंबर के नहीं होगी। पिछले दिनों राज्य कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट से प्रस्ताव की मंजूरी के बाद निबंधन महकमे ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है।

अधिसूचना सभी सब रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजी गई : सभी निबंधन कार्यालयों को विभाग द्वारा जारी अधिसूचना भेज दी गई है। पटना के साथ-साथ भागलपुर में फ्लैटों का रजिस्ट्रेशन कुछ अधिक है। इस लिहाज से इन जिलों को अधिक सेंसेटाइज किया जा रहा है। पटना में विशेष रूप से दानापुर रजिस्ट्री ऑफिस में फ्लैटों का निबंधन अपेक्षाकृत अधिक है। निबंधन महकमे के संबंधित अधिकारियों ने बताया कि निबंधन महकमे को इस व्यवस्था के तहत कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेनी है।